कार्यालयः— जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर

क्रमांक : लेखा / 2022—23 / 88 दिनांक 7/2/2023

—: ::इश्तिहार रद्दी नीलामी सूचना ::—

सर्वसाधारण एवं विशेषकर स्क्रेप का कार्य करने वाली इच्छुक फर्मों / व्यक्तियों / कबाड़ी जो वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत पंजीकृत है को सूचित किया जाता है कि जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर महानगर के अभिलेखागार में मुख्यालय पर उपलब्ध रद्दी कागजों, विडिंगशुदा रद्दी, अखबार रद्दी, एक्सरे प्लेट्स, खाली कार्टन की नीलामी (जहां है, जैसा है, जिस स्थिति में है) के आधार पर लगभग 60—70 क्विंटल (कम या ज्यादा हो सकती है) नष्टीकृत कागजों की नीलामी जिला न्यायालय परिसर, जोधपुर महानगर में **दिनांक 17.02.2023** को कार्यालय समय में **दोपहर 02.00 बजे खुली बोली द्वारा** की जावेगी। नीलामी की दरें प्रति कि.ग्रा. की दर से ली जायेगी। इच्छुक व्यक्ति या खरीददार किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय समय में रद्दी कागजात एवं बोली शर्तों का अवलोकन कर सकते है। नीलामी शर्तों का अवलोकन कार्यालय में एवं विभाग की वेबसाईट www.districts.ecourts.gov.in/jodhpurmetro पर कभी भी किया जा सकता है।

sd/-
अध्यक्ष
विडिंग सुदा कागज (रद्दी) नीलामी कमेटी
जिला एवं सेशन न्यायालय
जोधपुर महानगर

क्रमांकः 94 दिनांकः 7/2/2023

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. नोटिस बोर्ड, जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर जिला / महानगर जोधपुर / कोषालय (ग्रामीण), जोधपुर / कोषालय (शहर), जोधपुर / सूचना एवं जन सम्पर्क, जोधपुर।
2. स्टोर कीपर, न्यायालय हाजा को निर्देशित किया जाता है कि स्थानीय कबाड़ियों को सूचित करावे।
3. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर महानगर को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

7.2.23
अध्यक्ष
विडिंग सुदा कागज (रद्दी) नीलामी कमेटी
जिला एवं सेशन न्यायालय
जोधपुर महानगर

कार्यालयः— जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर

क्रमांक : भण्डार/रद्दी नीलामी/2022–23/88 **दिनांक** 7/2/2023

::इश्तिहार रद्दी नीलामी::

सर्वसाधारण एवं विशेषकर स्क्रेप का कार्य करने वाली इच्छुक फर्मों/व्यक्तियों/कबाड़ी जो वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत पंजीकृत है को सूचित किया जाता है कि जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर महानगर के अभिलेखागार में मुख्यालय पर उपलब्ध रद्दी कागजों, विडिंगशुदा रद्दी, अखबार रद्दी, एक्सरे प्लेट्स, खाली कार्टन की नीलामी (जहां है, जैसा है, जिस स्थिति में है) के आधार पर लगभग 60–70 क्विंटल (कम या ज्यादा हो सकती है) नष्टीकृत कागजों व पुराने अखबारों की नीलामी जिला न्यायालय परिसर, जोधपुर महानगर में दिनांक 17.02.2023 को कार्यालय समय में **दोपहर 02.00 बजे** खुली बोली द्वारा की जावेगी। नीलामी की दरें प्रति कि.ग्रा. की दर से ली जायेगी। इच्छुक व्यक्ति या खरीददार किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय समय में रद्दी कागजात का अवलोकन कर सकते है जिसकी नीलामी की शर्तें निम्नानुसार हैः—

1. नीलामी बोली लगाने से पूर्व बोलीदाता को राशि **5000/— बतौर अर्नेस्ट मनी** (धरोहर राशि) जमा करानी होगी। **अर्नेस्ट मनी (धरोहर राशि) सुबह 11.00 बजे से 1.00 बजे तक जमा की जाएगी।** उच्चतम दर वाले नीलामीकर्ता के अलावा अन्य नीलामीकर्ता को अर्नेस्ट मनी की राशि उसी दिवस लौटा दी जावेगी।
2. **उपस्थित होने वाले बोलीदाता को अपने आधार कार्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं फर्म के मालिक/प्रतिनिधी होने के संबंध में दस्तावेज पेश करना अनिवार्य है।**
3. जिस बोलीदाता के नाम अधिकतम बोली स्वीकार की जायेगी, को नीलामी कार्यवाही संपन्न हो जाने के बाद सिक्यूरिटी राशि के रूप में अर्नेस्ट मनी के अतिरिक्त 20,000/— जमा करवाने होंगे जो उपरोक्त धरोहर राशि के अतिरिक्त जमा करवाने होंगे एवं अनुबंध इस आशय का करना होगा कि वह अपने खर्चें पर समस्त रद्दी नीलामी की तारीख के **पांच दिवस** के भीतर कार्यालय से समस्त रद्दी उठा लेगा, अन्यथा उसके द्वारा जमा करायी गयी राशि व नीलामी की जमा राशि जब्त सरकार मानी जावेगी एवं रद्दी पुनः नीलाम की जावेगी।
4. माल उठाने से पूर्व क्रेता को रद्दी की समस्त राशि जमा करवानी होगी अन्यथा स्वीकृत बोली निरस्त कर सिक्यूरिटी/अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जावेगी। समस्त रद्दी जिस स्थिति में एवं जहां है उसे पूर्ण रूप से उठाना होगा, किसी भी प्रकार की छंटनी की स्वीकृति नहीं दी जावेगी। निश्चित समय सीमा में खरीददार द्वारा रद्दी नहीं उठाने के कारण वर्षा या अन्य कारण से माल खराब हो जाता है अथवा कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं खरीदादार की होगी। इस सबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता का कोई दायित्व नहीं होगा न ही उसमें किसी प्रकार की छूट दी जावेगी।
5. नीलामी के सफल खरीदादार को विक्रय किये जाने वाला माला स्वयं के परिवहन खर्च पर इलेक्ट्रोनिक धर्म कांटे अथवा स्वयं के इलेक्ट्रोनिक कांटे से तुलवाना होाग। तुलवाने की प्रक्रिया का भराई–ढुलाई इत्यादि का सम्पूर्ण व्यय खरीदादार को वहन करना होगा।
6. खरीददार को यह प्रमाण–पत्र भी देना होगा कि रद्दी का प्रयोग लुग्दी बनाने में किया जायेगा और भराई, लदान व परिवहन के समय रद्दी को ढक कर बोरो में भरकर पूर्ण रूप से सुरक्षित रूप से उसके संग्रहण, संधारण व उपचार स्थल तक ले जायेगा जिससे कि न्यायिक अभिलेखों के अंश इधर–उधर फैलने अथवा बिखरने से बच सके एवं अभिलेखों का किसी प्रकार से गलत उपयोग नहीं किया जायेगा।
7. रद्दी पर देय **वस्तु एवं सेवाकर** नियमानुसार विक्रय राशि पर अलग से क्रेता को स्वयं के स्तर से चालान से राजकोष में जमा करवाना होगा। चालान की प्रति प्राप्त होने अथवा प्रस्तुत करने की प्रत्याशा में देय सेवाकर गबणना के समान राशि कार्यालय में अमानती तौर पर जमा रखनी होगी। जिसे देय सेवाकर चालान की प्रति प्रस्तत करने बाद यथावत लौटा दिया जावेगा।
8. नीलामी अधिकारी को बिना कारण बताये नीलामी तिथि स्थगित करने तथा बोली आंशिक अथवा पूर्णरूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।
9. किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षकर्ता का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

7.2.23

(अध्यक्ष)

विडिंग सुदा कागज (रद्दी) नीलामी कमेटी

जिला एवं सेशन न्यायालय

जोधपुर महानगर